हुक्म की नं	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3-7-2021 वकील वादी उप०। वकील वादी ने प्रा०पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रकरण मे वादी दामोदरलाल अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि विक्रय कर चुका है एवं क्रेतागण के हक मे खातेदारी इन्द्राज भी हो चुका है। अतः वादी दामोदर की हद तक दावा विदड्रा फरमाया जावे। इस प्रा०पत्र पर वकील वादी को सुना गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर वादी दामोदर की हद तक दावा विदड्रा की अनुमति दी जाती है। दावे पर बहस वकील वादी सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 16-7-2021 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

16-7-2021 वकील वादी उप०। वादी सं० 1 ता 4 के हक मे दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Gangapur City
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]	29.09.2019	16.7.2021

1. [illegible]चन्द | पिसरान स्वर्गीय श्री जौहरीलाल
2. [illegible]चन्द | जाति महाजन खण्डेलवाल
3. [illegible] उर्फ मुकेश कुमार | निवासी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर
4. [illegible] (बाबू) उर्फ अमित कुमार |
5. [illegible]लाल पुत्र श्री बद्रीलाल —वादीगण

बनाम

1. [illegible]नारायण | पिसरान स्वर्गीय श्री रघुनाथ प्रसाद
2. [illegible]श्याम | जाति महाजन खण्डेलवाल
3. [illegible]चन्द | निवासी गंगापुर सिटी
4. [illegible] कुमार | तहसील गंगापुर सिटी
5. [illegible] कुमार | जिला सवाईमाधोपुर
6. बजरंगलाल | पिसरान स्वर्गीय श्री रामसहाय जाति महाजन
7. कैलाशचन्द | खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी
8. श्रीमति मधु गुप्ता पत्नि स्वर्गीय श्री शैलेन्द्र कुमार जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी
9. अभिमन्यू | पिसरान स्वर्गीय श्री शैलेन्द्र कुमार
10. आदित्य | जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः श्री गजेन्द्र सैनी एडवोकेट, वादीगण की ओर

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तहसील गंगापुर सिटी के ग्राम छाबा में साबिक खसरा नम्बर 275 मिन रकबा 13 बीधा 12 बिस्वा की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता श्री रुगनाथ प्रसाद तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 8 के ससुर तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के दादा श्री रामसहाय तथा प्रभूदयाल के नाम रही हैं। उक्त साबिक खसरा नम्बर 275 के हाल खसरा नम्बर 576 रकवा 0.36 हेक्टर, ख0न0 577 रकवा 1.75 हेक्टर व ख0न0 578 रकवा 1.15 हेक्टर बने। इस आराजीयात की खातेदारी वादीगण महेशचन्द, दिनेश चन्द,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (सवा.)

[illegible] व बाबू उर्फ रामबाबू व रमेशचन्द के नाम से हिस्सा 1/5, [illegible] (प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता), रामसहाय प्रतिवादी संख्या [illegible] 7 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के बाबा), वादी दामोदरलाल हिस्सा 3/5 तथा प्रभूदयाल हिस्सा 1/5 रही है। उक्त खातेदारो मे [illegible] की मृत्यु काफी पूर्व ही हो चुकी है उनकी शादी भी नही हुई थी [illegible] खातेदार श्री रामसहाय के प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के अलावा एक पुत्र [illegible] कुमार और थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 व [illegible] उनके उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता श्री [illegible] ने दिनांक 4.7.85 को उक्त भूमि मे अपने 1/5 हिस्से के विक्रय–पत्र की रजिस्ट्री वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हक मे करा दी एवं विक्रय की गई भूमि का कब्जा केतागण को संभला दिया। लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के बाबजूद भी उक्त 1/5 हिस्से की भूमि की खातेदारी वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम सें खातेदारी मे अंकित नही की गई। केता वादीगण ही खरीदी गई उक्त भूमि का लगान अदा करते चल आ रहे है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 8 के ससुर तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के बाबा श्री रामसहाय ने भी दिनांक 4.7.85 को उक्त भूमि में अपने 1/5 हिस्से के विक्रय–पत्र की रजिस्ट्री वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हक मे करा दी एवं विक्रय की गई भूमि का कब्जा केतागण वादी को सम्हला दिया। लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के बाबजूद उक्त 1/5 हिस्से की भूमि की खातेदारी की वादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम खातेदारी मे अंकित नही की गई। वादीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रो के द्वारा खरीदी गई भूमि के खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है तथा वादीगण खरीदी गई उक्त भूमि पर वहैसियत खातेदार काबिज हैं एवं काश्त करते चते आ रहे है। वादी संख्या 1 लगायत 4 के खास बडे भाई रमेश चन्द थे जिनकी मृत्यु करीब 35 साल पूर्व हो चुकी है वे लाऔलाद फौत हुए। उनके 1/5 हिस्से मे 1/5 हिस्से (अर्थात 1/25 हिस्से की भूमि को उनकी मृत्यु के बाद से ही वादी संख्या 1 लगायत 4 वहैसियत खातेदार कब्जा काश्त रहा है। उक्त रमेशचन्द अपने जीवनकाल मे वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ संयुक्त परिवार मे रहते थे। अतः ऐसी दशा मे उक्त श्री रमेशचन्द का नाम हजफ किया जाना समुचित व विधि सम्मत है। उक्त श्री रमेशचन्द की मृत्यु के बाद एवं दिनांक 4.7.1985 के दोनो रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रो के बाद अब उक्त खसरा नम्बर 576 रकवा 0.36 हेक्टर, ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] 1.75 हेक्टर व [illegible] 1.15 हेक्टर मे वादी संख्या 1 लगायत [illegible] 1/2 (1/5 [illegible] स्वयं का + 1/5 श्री रूगनाथ से [illegible] हिस्सा + 1/10 श्री रामसहाय से क्रय किया गया हिस्सा) [illegible] संख्या 5 दामोदरलाल का हिस्सा 3/10 (1/5 हिस्सा पूर्व में [illegible] स्वयं का + 1/10 हिस्सा श्री रामसहाय से क्रय किया) है इसी के [illegible] राजस्व रिकार्ड में संसोधन किया जाकर वादी संख्या 1 लगायत 4 [illegible] भूमि 1/2 हिस्से का तथा वादी संख्या 5 दामोदरलाल को 3/10 [illegible] का खातेदार घोषित किया जाकर संशोधन किया जाना न्यायोचित व [illegible] है तथा राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे से रूगनाथ व रामसहाय का [illegible] किया जाना भी विधि सम्मत है। वादीगण उक्त प्रकार से अपने [illegible] हिस्से के खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है। वादीगण एवं [illegible] संख्या 1 लगायत 10 एक ही कुटुम्ब के है। समय समय पर [illegible] ने उक्त प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड मे उक्त संशोधन करवाने [illegible] लिखित मे सहमति देने को कहा तो टालते रहे एवं कहते रहे कि [illegible] की गई भूमि पर तुम्हारा कब्जा है क्या जल्दी है। दो जुलाई 2014 मे [illegible] वादीगण ने तकाजा किया तो पूर्व की भॉति टाल दिया अब दिनांक 25.9.2014 को वादीगण ने उक्त प्रतिवादीगण से जोर देकर तकाजा किया तो नाराज हो गये एवं कहा कि तुम्हे जो कानूनी कार्यवाही करनी है वह कर लो हम लिखित मे कुछ नही देंगे। ऐसी दशा मे यह दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वाद–पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाकर तहसील गंगापुर सिटी के ग्राम छावा स्थित भूमि खसरा नम्बर 576 रकवा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 577 रकवा 1.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 578 रकवा 1.15 हेक्टर की खातेदारी मे वादी संख्या 1 लगायत 4 महेशचन्द, दिनेशचन्द, गोपालराम उर्फ मुकेश कुमार तथा रामबाबू (बावू) उर्फ अमित कुमार को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित फरमाया जावे, वादी संख्या 5 दामोदरलाल को 3/10 हिस्से का खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा इसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड खातेदारी आदि मे दुरूस्ती फरमाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 की ओर से श्री भागचंद पल्लीवाल एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। जबाबदावा प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

... ... अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई ... ... प्रस्तुत नही किया गया। दिनांक 21.12.2017 को प्रतिवादीगण ... उनके वकील न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। फलस्वरूप प्रतिवादीगण के ... एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने असल विक्रय पत्र दिनांक 4.7.1985 द्वारा श्री रामसहाय पुत्र बद्रीलाल महाजन बहक महेशचंद, दिनेशचंद, गोपाल व रामबावू प्रदर्श 1, असल विक्रय पत्र दिनांक 4.7.85 द्वारा श्री रूगनाथ ... पुत्र बद्रीलाल महाजन बहक महेशचंद, दिनेशचंद, गोपाल, रामबावू प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श3, नकल हॉल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2051—54 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2067—70 प्रदर्श 6, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र रमेशचंद प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी ...चंद के कराये है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 4.7.1985 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 के अनुसार वादीगण के पक्ष मे विक्रय की जा चुकी है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि मे साबिक हिस्सा व खरीदे गये हिस्से को मिलाकर वादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 5 का 3/10 हिस्सा बनता है। वादी संख्या 5 अपना हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर चुका है एवं जमीन खरीददारो के नाम दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे वादी संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष मे वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा दर्ज होना आवश्यक है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे वादी संख्या 1 लगायत 4 दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र का कोई विरोध नही किया है एवं उनकी ओर से कोई जबाब भी प्रस्तुत नही किया गया है। जब प्रतिवादीगण कोई साक्ष्य पेश नही करे और वादी के मामले का प्रतिरोध नही करे तो प्रकरण मे डिक्री किया जाना उचित है। अपने इस कथन के समर्थन मे वकील वादीगण ने न्याय दृष्टान्त 2000—01 डीएनजे (राजस्थान) पेज 245, न्याय दृष्टान्त 1999 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 1439 प्रस्तुत किये है।

बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। असल विक्रय पत्र दिनांक 4.7.1985 प्रदर्श 1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे खातेदार रामसहाय ने अपना हिस्सा 1/5 वादी संख्या 1 लगायत 5 को विक्रय किया है तथा खातेदार रूगनाथ ने असल विक्रय पत्र दिनांक 4.7.85

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (...)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते

... अनुसार अपना 1/5 हिस्सा वादी संख्या 1 लगायत 4 को विक्रय ... जमाबंदी प्रदर्श 5 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे रमेशचंद, महेशचंद, ... गोपालराम, बाबू पिता जौहरी का 1/5 हिस्सा दर्ज है। फोटोकॉपी ... पत्र के अनुसार रमेशचंद का दिनांक 22.1.1981 को निधन हो ... वादपत्र के अनुसार रमेशचंद की मृत्यु लाऔलाद हुई है एवं वादी ... लगायत 4 उसके उत्तराधिकारी है। पूर्व मे दर्ज भूमि, रमेशचंद के ... भूमि, विक्रय पत्र दिनांक 4.7.85 के अनुसार क्रय की गई भूमि को ... वादग्रस्त भूमि मे वादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा बनता ... खातेदारी वादी संख्या 1 लगायत 4 अपने नाम दर्ज कराने के ... है। प्रतिवादीगण ने वादपत्र का कोई प्रतिरोध नही किया है एवं वे ... सूचना के उपरांत भी न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। वादीगण ... अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2000–01 डीएनजे ... पेज 245, न्याय दृष्टान्त 1999 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 1439 ... प्रकरण पर चस्पा होते है। फलस्वरूप इसी अनुसार वादीगण का ... निर्णित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार ... जाकर भूमि ख0न0 576 रकबा 0.36 है0, ख0न0 577 रकबा 1.75 है0 ... ख0न0 578 रकबा 1.15 है0 ग्राम छाबा मे वादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमि मे दर्ज वर्तमान खातेदारी इन्द्राज हजफ किये जाकर कुंजीलाल पुत्र हरीलाल हिस्सा 3/40 जाति माली निवासी ग्राम महुकलॉ खातेदार, बत्तीलाल पुत्र ...यनारायण हिस्सा 3/40 जाति माली निवासी ग्राम महुकलॉ खातेदार, मदन पुत्र श्योनारायण हिस्सा 3/40 जाति माली निवासी ग्राम महुकलॉ खातेदार, रामप्रसाद पुत्र श्योनारायण हिस्सा 3/40 जाति माली निवासी ग्राम महुकलॉ खातेदार, प्रभूदयाल पुत्र लिक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5 जाति महाजन सा. गंगापुर खातेदार एवं महेशचंद, दिनेशचंद, गोपालराम उर्फ मुकेश कुमार, रामबाबू (बाबू) उर्फ अमित कुमार पुत्रान जौहरीलाल जाति महाजन खण्डेलवाल हिस्सा 1/2 सा. गंगापुर खातेदार दर्ज किये जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज ... डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर ... से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Judl/Civil

[illegible]

[illegible]) Part IV-10

([illegible] Code, Appendix D-1)

[illegible] [illegible] मुकाम गंगापुर सिटी

[illegible] अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible]चन्द	पिसरान स्वर्गीय श्री जौहरीलाल
[illegible]चन्द	जाति महाजन खण्डेलवाल
[illegible]राम उर्फ मुकेश कुमार	निवासी गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर
[illegible]बाबू (बावू) उर्फ अमित कुमार	

[illegible]दरलाल पुत्र श्री बद्रीलाल —वादीगण

बनाम

1. [illegible]नारायण	पिसरान स्वर्गीय श्री रघुनाथ प्रसाद
2. [illegible]श्याम	जाति महाजन खण्डेलवाल
3. [illegible]चन्द	निवासी गंगापुर सिटी
4. सुशील कुमार	तहसील गंगापुर सिटी
5. भारत कुमार	जिला सवाईमाधोपुर
6. बजरंगलाल	पिसरान स्वर्गीय श्री रामसहाय जाति महाजन
7. कैलाशचन्द	खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी

8. श्रीमति मधुं गुप्ता पत्नि स्वर्गीय श्री शैलेन्द्र कुमार जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी

9. अभिमन्यू	पिसरान स्वर्गीय श्री शैलेन्द्र कुमार
10. आदित्य	जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी

11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. —116/2014

यह मुकदमा आज वास्ते [illegible] कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गजेन्द्र सैनी, एडवोकेट [illegible] ....मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 576 रकबा 0.36 है0, ख0न0 577 रकबा 1.75 है0 एवं ख0न0 578 रकबा 1.15 है0 ग्राम छाबा मे वादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमि मे दर्ज वर्तमान खातेदारी इन्द्राज हजफ किये जाकर कुंजीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते

[illegible] हिस्सा 3/40 जाति माली निवासी ग्राम महुकलॉ खातेदार, [illegible] पुत्र जयनारायण हिस्सा 3/40 जाति माली निवासी ग्राम महुकलॉ [illegible] मदन पुत्र श्योनारायण हिस्सा 3/40 जाति माली निवासी ग्राम [illegible] खातेदार, रामप्रसाद पुत्र श्योनारायण हिस्सा 3/40 जाति माली [illegible] ग्राम महुकलॉ खातेदार, प्रभूदयाल पुत्र लिक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/5 [illegible] महाजन सा. गंगापुर खातेदार एवं महेशचंद, दिनेशचंद, गोपालराम उर्फ [illegible] कुमार, रामबाबू (बाबू) उर्फ अमित कुमार पुत्रान जौहरीलाल जाति [illegible] खण्डेलवाल हिस्सा 1/2 सा. गंगापुर खातेदार दर्ज किये जावे। इसी [illegible] राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.7.2021 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:47 IST
Reason: SelfAttested